

Note
press
14/9/2020

14.09.2020 अधिवक्ता पार्थी के निवेदन पर
पत्रावली काज पेशी परली गई। अधिवक्ता
पार्थी उपस्थित। अधिवक्ता पार्थी ने प्रा
पत्र में दिनांक परी नहीं होना जा
कदम हुए प्रांपत्र खोज करने का निवे
किया है। दिन: पार्थी वा प्रांपत्र 25/9
RTA Act Not Press में खोज किया जा
है। पत्रावली फंखल शुका होकर कम्प
कम की जावे। निर्णय शुकाया गया। पत्रावली
हाविल इफ्तार हो।

Signature
एवम् एवम् अधिकारी

